कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 04.07.2024

विषय:- विगत 02 वर्षो से फरार 25000 का ईनामिया दुष्कर्म का आरोपी थाना लंका पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक लंका के कुशल नेतृत्व में थाना लंका पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 229/2022 धारा-363/376 भदवि व 3/ 4 पोक्सो एक्ट थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त प्रदीप शर्मा पुत्र जितेंद्र शर्मा निवासी जोखू लारपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को दिनांक 04.07.2024 को मुरारी चौक बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरण:- दिनांक 24.09.2022 को आवेदक श्री जयशंकर यादव की शिकायत के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0229/2022 अन्तर्गत धारा 363 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही एवं तलाश के क्रम में सितम्बर 12, 2023 को पीड़िता की सकुशल बरामदगी की गयी। पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भा0द0वि0 व 3/ 4 पोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी, किन्तु अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त प्रदीप शर्मा उपरोक्त लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा एन0बी0डब्लू0 जारी किया गया तथा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु जनसहयोग प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से श्रीमान पुलिस उपायुक्त, काशी जोन महोदय द्वारा 25000/- रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था।

पूछताछ विवरण-

पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ पर बता रहा है कि साहब मै दो तीन दिन पूर्व ही अपने निजी कार्य से बनारस आया था मुझे जानकारी हुई थी कि मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उसी में पुलिस मेरी तलाश कर रही है व मुझ पर 25 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित हुआ है। इसलिए आज तड़के ही अपने घर वापस जाने के लिए निकला था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1. प्रदीप शर्मा पुत्र जितेंद्र शर्मा निवासी जोखू लारपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक गिरफ्तारी 04.07.2024 को मुरारी चौक बस स्टैण्ड के पास से, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 229/2022 धारा-363/376 भदवि व 3/ 4 पोक्सो एक्ट थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 रोहित सिंह यादव, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 हे0का0 संजय कुमार, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 अमित कुमार यादव, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।